कार्यालय जिलाधिकारी, Gorakhpur
(खनन अनुभाग)

पत्रांक :-**UP/Gorakhpur/No-73, Dated: 23-01-2024** दिनांक :-**23-01-2024**

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की जनपद Gorakhpur में नदी तल में उपलब्ध Ordinary sand Category I के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(1) के अंतर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उक्त नियमावली के अध्याय-4 के तहत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्धता घोषित करते हुए इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को निम्नवत शर्तों व कालयोजना/अवधि में ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित किया जाता है:-

1. क्षेत्र का विवरण:-

क्र०सं०	एरिया कोड	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियोकोर्डिनेट		नियमावली 2021 के अनुसूची-1 के अनुसार रायल्टी दर (रू० प्रति घन मी)	खनन योग्य आंकलित उप खनिज की मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रू० में	अर्नेस्ट मनी (कॉलम 13 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत रु0 में)
				तहसील	ग्राम/एरिया कोड	गाटा सं०/ खंड सं०/ जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० में)	अक्षांश	देशांतर				
1	1878680101	Ordinary sand Category I	Ghaghra	Gola	Rajauli Bjurg - 187868	घा 0 -14	6.0000	A- 26°-16'30.78" B- 26°-16'28.08" C- 26°-16'23.21" D- 26°-16'25.77"	A- 83°-26'19.22" B- 83°-26'34.29" C- 83°-26'33.6" D- 83°-26'18.25"	65	120000	7800000.00	1950000.00
2	1863390101	Ordinary sand Category I	Rapti	Bansgaon	Kanail Mus. - 186339	रा 0 -17	5.0000	A- 26°-35'38.8" B- 26°-35'38.4" C- 26°-35'16.9" D- 26°-35'16.6"	A- 83°-28'39.7" B- 83°-28'42.3" C- 83°-28'38.1" D- 83°-28'39.7"	65	25000	1625000.00	406250.00
3	1863360101	Ordinary sand Category I	Rapti	Bansgaon	Rudain Urf Manjhgawa - 186336	रा ०	5.0000	A- 26°-36'16.03" B- 27°-36'19.99" C- 26°-36'19.3" D- 26°-36'15.29"	A-83°-28'8.2" B- 83°-28'9.14" C- 83°-28'24.85" D- 83°-28'22.94"	65	25000	1625000.00	406250.00
4	1858870101	Ordinary sand Category I	Rapti	Sadar	Kooie - 185887	रा-15	5.0000	A- 26°-36'20.25" B- 26°-36'19.99" C- 26°-36'15.7" D- 26°-36'15.72"	A- 83°-28'13.42" B- 83°-28'26.46" C- 83°-28'26.98" D- 83°-28'12.3"	65	25000	1625000.00	406250.00

2.ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थिति उपखनिज के खनन पट्टा अधिकतम अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे| पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जाएगी |

3.ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उप खनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जाएगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी| इससे भिन्न बिड/बोली दिए जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी०) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी०) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी |

4.ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी| प्रथम चरण में ई-निविदा संपन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा| ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बोली दे सकता है| ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बोली पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है |

5.किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा |

6.एम०एस०टी०सी० लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी| ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एम०एस०टी०सी० के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जाएगी |

7.इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाइन बिड/बोली हेतु class III Singing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है| एम०एस०टी०सी० के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे| ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी०एस०सी० की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी |

8.पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर

प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम०एस०टी०सी० के पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा| किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से बिड अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे| इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू०-15,000 (रू० पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा |

9.ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी को एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा| पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कंपनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड बनायेंगे| इस ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत बिडर्स को एम०एस०टी०सी० को ऑनलाइन फॉर्म भेजना अनिवार्य होगा, साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी०एस०टी० सहित रू०-2,360 (रू० दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) एम०एस०टी०सी० पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन देय होगा| अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लागिन आई०डी०, पासवर्ड एवं अकाउंट एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा| पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा परन्तु नए नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा |

10.पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कंपनी के मामले में कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कंपनी के प्रबंध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति|

2) आवेदक का अद्ववाधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्ववाधिक चरित्र प्रमाण की प्रति तथा कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कंपनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है| चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थाई रूप से निवास करता हो |

3) आवेदक का पैनकार्ड की प्रति, फर्म या कंपनी के मामले में उसका पैनकार्ड एवं जी०एस०टी० नं० की प्रति|

4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बंधित समस्त वित्तीय हस्तांतरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खता संख्या आई०एफ०एस०सी० कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति|

5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र| जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय का शपथ पत्र की प्रति|

एवं खनिकर्म निदेशालय
1955
रत्नगर्भा वसुन्धरा
UP MINE MITRA

6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11.एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नही ले सकते है:-

1) जो भारतीय राष्ट्रिक नही है।

2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।

3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहॉ वह स्थाई रुप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

6) फर्म/कम्पनी के मामलें में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया हो।

12.ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी की बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13.ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक रु0-15000 (रु0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14.सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15.जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

16.अधिकतम दो खनन पट्टें या 50 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टें या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टें स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टें निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50 हे0 के खनन पट्टें ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टें या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टें हेतु जारी लेटर आफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

17.ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रतिघन मीटर के लिये दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगा। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घन मीटर दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्ते पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदा दाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगें।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पॉच या पॉच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पॉच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पॉच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते है।

4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त

उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई-नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नही होती है।

7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अवधि	ई-निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें।
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	29-02-2024 (10:00 बजे) से 04-03-2024 (17:00 बजे) तक

विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक संख्या	प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना व मूल्यांकन	द्वितीय चरण की ई-नीलामी
1	05-03-2024 10:00 से 12:00 तक	05-03-2024 12:00 से 14:00 तक
2	05-03-2024 10:00 से 12:00 तक	05-03-2024 12:00 से 14:00 तक
3	06-03-2024 10:00 से 12:00 तक	06-03-2024 12:00 से 14:00 तक
4	06-03-2024 10:00 से 12:00 तक	06-03-2024 12:00 से 14:00 तक

8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:-

(क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदिर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नही को भी लॉगिन कर जान सकते है।

रत्नगर्भा वसुन्धरा
UP MINE MITRA

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई-नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टें का दिया जाना:नियमावली के नियम-28 के प्राविधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेगें। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19.ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र स्थित है, के द्वारा कराना होगा। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नही किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

20.लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-

1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति में आंकलित मात्रा घन मीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रुपया घन प्रति मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टें की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रुप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रुप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।

3) पट्टें के प्रथम वर्ष की शेष किस्ते एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहारधारको द्वारा पंचम अनुसूची प्रक्रिया अन्तर्गत धनराशि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमाकंन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ-कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा और इसका सदैव अनुरक्षण करेगा।

5) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय अश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

6) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रियां तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21.सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

1) पट्टें की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तद्नुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिये पट्टा धनराशि नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टें के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुये जमा किया जाना होगा। प्रीबिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

4) पट्टाधारक द्वारा पट्टा धनराशि के किश्तो के सापेक्ष राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22.शर्ते :-

(1) ई निविदा सह-ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई- नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) खनन स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण पट्टेधारक द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा तथा किसी तीसरे पक्ष के साथ विवाद/समस्या उत्पन्न होने पर उसका निस्तारण पट्टाधारक द्वारा स्वयं अपने स्तर करेगा।

(3) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का क्वार्डिनेट अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह् को और खम्भें को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करना आवश्यक होगा।

(4) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षता पूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(5) पट्टाधारक नियम 36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चारसी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेकपोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट /गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रखरखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कमैरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरो द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम 67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(6) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(7) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो भी कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(9) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(10) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(11) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(12) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(13) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(15) जनपद में विज्ञापित क्षेत्रों को वापस लेने/निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी/उ0प्र0 शासन का होगा।

(16) नियम-10 किसी व्यक्ति के पक्ष में उपखनिज बालू के अधिकतम पांच खनन पट्टे या चार सौ हे0 क्षेत्रफल के खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने के स्थान पर अब संशोधित प्राविधान के अनुसार किसी एक व्यक्ति के पक्ष में दो खनन पट्टे या पचास हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किये जायेगें।

(17) नियम 17- स्वीकृत खनन क्षेत्र के सर्वेक्षण/सीमाबंधन के सम्बन्ध में दो स्थायी बिन्दुओं का संदर्भ लेकर सीमा बिन्दुओं का जियोक्वार्डिनेट लेते हुए सीमांकन सर्वेक्षण किया जायेगा।

(18) नियम 26- बोलीदाता द्वारा स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत किया जायेगा।

(19) नियम 27(3)- उपखनिज बालू के खनन पट्टों के वार्षिक देयता की त्रैमासिक किश्त के स्थान पर माहवार किश्त का संदाय किये जाने हेतु पंचम अनुसूची जोड़ा गया है। मानसून अवधि (जुलाई, अगस्त, सितम्बर), जिसमें खनन कार्य बन्द होता है, को छोड़कर शेष 09 माह में प्रथम किश्त 20 प्रतिशत तथा अन्य 08 माह में 10 प्रतिशत प्रत्येक माह की पहली तिथि को देय होगी।

(20) नियम 28(2)(दो)- प्रथम वर्ष की देय धनराशि का निर्धारण पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित खनिज की मात्रा को ई-निविदा/ई-नीलामी में प्राप्त दर (रेट) से गुणा कर किया जायेगा।

(21) नियम 30- खनन पट्टा अभ्यर्पण का नियमावली में प्राविधान किया गया है। पट्टाधारक द्वारा अभ्यर्पण की आशयित दिनांक (समर्पण का इच्छित दिन) को प्रतिभूति की जमा धनराशि एवं उस वर्ष की वार्षिक देय किश्त के 25 प्रतिशत धनराशि को जमा कर पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र को हस्तान्तरित करने सम्बन्धित अनापत्ति एवं क्षेत्र से निकाले गये खनिज की मात्रा का आकलन करने के उपरान्त देय समस्त धनराशि के जमा की अनापत्ति के आधार पर खनन पट्टे का अभ्यर्पण किया जा सकेगा।

(22) नियम 35(2)- आशय पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर चयनित आवेदक द्वारा अनुमोदन हेतु खनन योजना प्रस्तुत की जायेगी। खनन योजना के एक माह से भीतर पर्यावरण अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

नियम 35(4)- पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का समाधान करने हेतु परियोजना प्रस्तावक बाध्य होगा।

नियम 35(5)- पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करना होगा। बालू के खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जायेगी। अन्य उपखनिजों के खनन संक्रिया पट्टा विलेख निष्पादन के 03 माह के भीतर प्रारम्भ की जायेगी।

(23) नियम 41(ज)- विशेष परिस्थितिवश पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रिया बाधित होने की स्थिति में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आगामी किश्त के सापेक्ष बाधित अवधि के दौरान संदेय किस्त के समतुल्य धनराशि का समायोजन संदेय देयों से आनलाईन किया जायेगा।

(24) नियम 42(झ)- भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनिजों की लोडिंग की जायेगी।

(25) नियम 59(2)- खनन पट्टा अन्तर्गत कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूमि धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् अवशेष धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(26) नियम 60(1)- नियम-35 के उल्लंघन की दशा में प्रस्तावक पर रू0 10,000 प्रतिदिन की शास्ति तथा प्रस्तावक द्वारा जमा प्रथम किश्त और प्रतिभूति धनराशि समपहृत करते हुए आशय-पत्र (आशय का पत्र) निरस्त किया जायेगा।

नियम 60(6)- के उल्लंघन की दशा में प्रत्येक चूक के लिये खनन पट्टाधारक पर रू0 25,000 शास्ति अधिरोपित किये जाने तथा शास्ति जमा न करने पर प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।

नियम 60(7)- नियम 35(5) के उल्लंघन की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके पक्ष में जारी आशय पत्र (समर्पण का इच्छित दिन) निरस्त किया जा सकता है।

(27) नियम 61(2)- खनन पट्टा की शर्तो के उल्लंघन की दशा में नियम-61(1) के अनुसार अथवा पट्टा अन्तर्गत देय धनराशि जमा न करने पर नियम 59 के अन्तर्गत खनन पट्टा निरस्त करने पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये खनन पट्टा धारक का नाम काली सूची में डाला जा सकता है।

(28) नियम 64(2)- आवेदक/पट्टाधारक के मृत्यु की दशा में उसके विधिक के पक्ष में खनन पट्टा का आवेदन पत्र/निष्पादित खनन पट्टा स्थानान्तरण का आदेश जिलाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त किया जा सकता है।

(29) मात्रा आदि के सम्बन्ध में पुनःपूर्ति अध्ययन/शासन/मा0 एन0जी0टी0/ मा0 न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा।

(30) खनिजों के परिवहन हेतु परिवहन प्रपत्र एम0एम0-11/ई0एम0एम0-11 में खनिज की मात्रा के साथ खनिमुख मूल्य को भी अंकित करना

अनिवार्य किया गया है। स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें, जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, विज्ञप्ति उपरान्त भी जोड़ा जा सकता है।

जिलाधिकारी
Gorakhpur |

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर।
5. ई-निविदा सह ई-नीलामी का संचालन करने वाली समिति।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. उपजिलाधिकारी, गोरखपुर सदर/बासगांव/गोला/खजनी/चौरीचौरा/सहजनवां /कैम्पियरगंज/को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
8. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, लखनऊ।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी गोरखपुर।
10. जिलाधिकारी कार्यालय/क्वैरी कार्यालय, गोरखपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी
Gorakhpur |

रत्नगर्भा वसुन्धरा
UP MINE MITRA

Digitally signed by Krishna Karunesh
Date: 2024.01.29 18:13:58
Gorakhpur
District Magistrate